सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आश्विन, 1940 (श०)

संख्या- 979 राँची, सोमवार, 15 अक्टूबर, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

9 अक्टूबर, 2018

संख्या-5/आरोप-1-89/2014-2536 (HRMS)-- श्री बंका राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-640/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हुसैनाबाद के सम्बन्ध में सरकार द्वारा निम्नवत निर्णय लिए गए हैं:

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BANKA RAM BHR/BAS/3146	श्री बंका राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हुसैनाबाद पर निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया जाता है.

श्री बंका राम, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-640/03), तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हुसैनाबाद के विरूद्ध नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-

3978, दिनांक-12 नवम्बर, 2011 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरूद्ध निम्नवत् आरोप प्रतिवेदित किये गयेः-

आरोप सं०-1- वित्तीय वर्ष 2007-08 में नगर विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा कुल छः योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई, जिसमें कुल स्वीकृत राशि 15 लाख रूपये के विरूद्ध 10 लाख रूपये का आवंटन प्राप्त हुआ। उक्त छः योजनाओं में से केवल 2 योजनाओं, जिसकी स्वीकृत राशि 6,37,400 रूपये है। शेष राशि नगर पंचायत कार्यालय में पड़ी हुई है । अन्य किसी स्वीकृत योजना में अवशेष राशि से कार्य नहीं कराया गया। यह सरकारी कार्य में उदासीनता का द्योतक है।

आरोप सं०-2- तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हुसैनाबाद द्वारा चापानल लगाने हेतु संबंधित संवेदक को कार्यादेश के साथ वार्ड पार्षद द्वारा समर्पित सूची भी उपलब्ध कराया गया। परंतु चापानल अधिष्ठापन के संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा सूची उपलब्ध नहीं कराया गया, जो सरकारी कार्य में शिथिलता का परिचायक है।

आरोप सं०-3- चापानल अधिष्ठापन से संबंधित कार्य को संतोषप्रद बताकर अंतिम विपत्र का भुगतान किया गया, जो वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

आरोप सं०-4- जाँच के दौरान खराब चापानल की मरम्मति से संबंधित कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया। इससे ज्ञात होता है कि क्रय समिति के निर्णय के विरूद्ध कार्यालय और संबंधित एजेन्सी के साथ मिलीभगत कर पार्ट्स इत्यादि के क्रय को दर्शाया गया है, जो सरकारी कार्य में लापरवाही बरतने एवं वित्तीय अनियमितता का द्योतक है।

आरोप सं०-5- नगर पंचायत की मासिक बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2011 के पश्चात् दिनांक 6 जून, 2011 को की गयी, जबकि अध्यक्ष द्वारा प्रत्येक माह बैठक करने का निदेश दिया गया है।

आरोप सं०-6- नगर पंचायत के वार्ड नं०-2 में छठपोखर के पास कुछ दुकान अर्द्धनिर्मित हैं। जाँच में पाया गया कि यह योजना वर्ष 2007-08 की हैं। आठ इकाई (दुकान) का निर्माण किया जाना है। छः इकाई का कार्य छत ढलाई तक हुआ है, दो इकाई में कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। योजना अधूरा पड़ा हुआ है।

आरोप सं०-7- तीन वर्षों के आंकड़ें के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक वर्ष मदवार वसूली कुछ-कुछ ही बढ़ी है। इसे संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है।

आरोप सं०-8- नगर पंचायत, हुसैनाबाद कार्यालय में कार्यरत स्थायी कर्मचारियों का भविष्यनिधि का अलग-अलग खाता न खोलकर सभी कर्मियों का सम्मिलित रूप से एक ही खाता खोला गया है। यह कृत्य सरकारी आदेशों के विरूद्ध है।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-8371, दिनांक 26 दिसम्बर, 2011 द्वारा श्री राम से

स्पष्टीकरण की माँग की गयी, जिसके अनुपालन में श्री राम के पत्रांक-55, दिनांक 18 जनवरी, 2012 द्वारा अपना स्पष्टीकरण उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके द्वारा निम्न तथ्य समर्पित किये गये-

आरोप सं०-1 पर स्पष्टीकरण- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वर्ष 2007-08 में नगर विकास विभाग द्वारा छः योजनाओं की स्वीकृति मिली थी, उसमें तत्कालीन पदाधिकारी द्वारा दो योजनाएँ शुरू की गयीं। विवाद के कारण शेष योजनाएँ प्रारंभ नहीं की गयी। इनके समय में न तो एकरारनामा हुआ और न योजना की स्वीकृति हुई। उस समय श्री गोपीनन्दन प्रसाद कार्यपालक पदाधिकारी थे।

आरोप सं०-2 पर स्पष्टीकरण- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि चापानल अधिष्ठापन का कार्य इनके समय के पूर्व हुआ था। उस समय श्री जगदीश मोची कार्यपालक पदाधिकारी थे।

आरोप सं०-3 पर स्पष्टीकरण- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि स्थल निरीक्षण करने के उपरांत कनीय अभियंता/सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता द्वारा मापी विपत्र तैयार किया गया है। इसपर अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का अनुमोदन प्राप्त कर मापी पुस्तिका के अनुसार इनके द्वारा केवल भुगतान किया गया है। इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है।

आरोप सं०-4 पर स्पष्टीकरण- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इनके पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारी श्री मदन मोहन सिंह के द्वारा ही अल्पकालिक निविदा वर्ष 2010-11 में समाचार पत्र में प्रकाशित करायी गयी थी एवं क्रय समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुरूप ही 'शिव गंगा इंटरप्राइजेज' से सामग्री की आपूर्ति की गयी थी। इनके कार्यकाल में न तो निविदा निकाली गयी थी और न पार्ट्स पुर्जों की खरीद की गयी थी।

आरोप सं०-5 पर स्पष्टीकरण- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि नगर पंचायत की बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2011 को हुई थी। ग्राम पंचायत चुनाव-परिणाम घोषित होने पर हारे हुए अभ्यर्थियों ने जगह-जगह समूह बनाकर प्रर्दशन आरंभ कर दिया था, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गयी थी। उसी बीच प्रमुख एवं उप प्रमुख का चुनाव कराकर विभिन्न प्रखण्डों में शपथ दिलवाना था। अपने मूल कार्यों में अतिव्यस्त रहने के कारण ही बैठक नहीं हो पायी।

आरोप सं०-6 पर स्पष्टीकरण- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि वर्ष 2007-08 में श्री जगदीश मोची, कार्यपालक पदाधिकारी के समय में नगर पंचायत के वार्ड सं०-2 में छठपोखर के पास मार्केट कांप्लेक्स का निर्माण कराया जाना था, जिसके अभिकर्ता श्री कृष्णचन्द्र प्रभाकर, कर संग्रहकर्ता थे। दिनांक 8 फ़रवरी, 2008 को कार्यादेश निर्गत किया गया, जिसे 60 दिनों के अंदर पूर्ण करना था। इनके द्वारा कार्य पूर्ण कराने का प्रयास किया गया, परंतु कोई तैयार नहीं हुआ। यह योजना इनके पूर्व की है, जिसमें इनके द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया है। अतः वित्तीय अनियमितता का आरोप निराधार है।

आरोप सं०-7 पर स्पष्टीकरण- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इनके कार्यकाल में पूर्व से नगर पंचायत के राजस्व में वृद्धि हुई है। श्री अमित कुमार, भा०प्र०से० के जाँच-प्रतिवेदन में भी उल्लेख है कि नगर पंचायत में दो कर संग्रहकर्ता हैं, जिनके क्षेत्र बँटे हैं। दोनों को प्रतिदिन वसूली करने का निदेश इनके द्वारा दिया गया था।

आरोप सं०-8 पर स्पष्टीकरण- आरोपी पदाधिकारी का कहना है कि इनके प्रभार लेने के पूर्व से ही सम्मिलित खाता की व्यवस्था रही है, क्योंकि नगर पंचायत के सभी कर्मचारी अर्द्ध सरकारी हैं। कार्यालय में कटौती संबंधी अलग पंजी संधारित है, जिसमें कर्मियों के अंशदान की विवरणी माहवार, वर्षवार अंकित है। एक-एक पैसा का हिसाब है। प्रधान सहायक को अलग-अलग खाता खोलने का निदेश दिया गया है। भविष्य निधि का कोई दुरूपयोग नहीं किया गया है।

श्री राम के स्पष्टीकरण पर विभागीय पत्रांक-2953, दिनांक 29 मार्च, 2012 द्वारा नगर विकास विभाग, झारखण्ड से मंतव्य की माँग की गयी, कई स्मार पत्रों द्वारा स्मारित किया गया। तत्पश्चात्, नगर विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1796, दिनांक 27 मार्च, 2018 द्वारा श्री राम के स्पष्टीकरण पर मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें निम्नवत् मंतव्य दिये गये हैं-

आरोप सं०-1 पर मंतव्य- स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य नहीं है, क्योंकि यदि प्रयास किया जाता तो अन्य 4 योजनाओं में से 1-2 तो प्रारंभ हो ही सकती थी, जबकि 3,62,600 रूपये की राशि पड़ी रही। सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता परिलक्षित होता है।

आरोप सं०-2 पर मंतव्य- स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

आरोप सं०-3 पर मंतव्य- अंतिम भुगतान के पूर्व भुगतान करने वाले पदाधिकारी को Randomly कुछ योजनाओं को भौतिक रूप से देखा जा सकता था, जो तत्परता से नहीं किया गया।

आरोप सं०-4 पर मंतव्य- स्पष्टीकरण आंशिक रूप से स्वीकार योग्य है, परंतु खराब चापानल की मरम्मति संबंधी कोई अभिलेख या संचिका नहीं दिखाने से संशय उत्पन्न होता है।

आरोप सं०-5 पर मंतव्य- आरोपी पदाधिकारी द्वारा दिनांक 14 अगस्त, 2010 को प्रभार लिया गया तथा पहली बैठक दिनांक 13 जनवरी, 2011 अर्थात 5 माह बाद हुई। इसी प्रकार दूसरी बैठक 6 जून, 2011 अर्थात् पुनः 5 माह बाद हुई। यह कार्य के प्रति लापरवाही दिखाता है।

आरोप सं०-6 पर मंतव्य- छः इकाई दुकानों के पूर्ण कराने हेतु प्रयास की कमी दिखाई देता है। साथ ही, दो दुकानों के कार्य प्रारंभ करने के निमित्त कोई प्रयास किया गया था, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। वैसे स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

आरोप सं०-7 पर मंतव्य- स्पष्टीकरण स्वीकार योग्य है।

आरोप सं०-8 पर मंतव्य- अनुमंडल पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद्, हुसैनाबाद द्वारा दूरभाष पर बताया गया है कि कर्मचारियों का भविष्य निधि खाता अलग-अलग Staff wise अब तक नहीं खोला गया है। यह पूछे जाने पर कि क्या पूर्व के पदाधिकारी द्वारा इस संबंध में अग्रतर कार्रवाई हेतु प्रधान सहायक को निदेश दिया गया था? तो उन्होंने बताया कि इस आशय का कोई आदेश/पत्र इस कार्यालय में नहीं है। वैसे, वर्तमान अनुमंडल पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पर्षद्, हुसैनाबाद ने बताया कि कर्मचारियों के अलग-अलग जी०पी०एफ० एकाउंट खोले जाने का कार्य सम्प्रति प्रारंभ किया गया है।

श्री राम के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनके स्पष्टीकरण एवं नगर विकास विभाग, झारखण्ड के मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री राम द्वारा सरकारी कार्य के प्रति उदासीनता एवं लापरवाही बरती गयी है।

अतः समीक्षोपरान्त, सरकारी कार्य में उदासीनता एवं लापरवाही बरतने के लिए श्री बंका राम, झा०प्र०से०, तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी-सह-कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, हुसैनाबाद, सम्प्रति-अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा, गोड्डा को झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत् "निन्दन" का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,
सरकार के संयुक्त सचिव।
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 979 -- 50